भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2224

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन योजनाएं

2224. श्री अरुण भारती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से सरकार की मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2018-19 से संबंधित योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार, विशेषकर बिहार में कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचितों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करने, गैर-वित्तपोषितों का वित्तपोषण करने और असेवित तथा अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई), नामतः प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया था।

सरकार की वित्तीय समावेशन की पहल को गति प्रदान करने के लिए पीएमजेडीवाई को "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 14.08.2018 से आगे बढ़ाया गया था। इस योजना को (i) ओवरड्राफ्ट सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और (ii) रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के संशोधनों के साथ और अधिक आकर्षक बनाया गया था। पीएमजेडीवाई देश में बैंकिंग की पैठ को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सफल रहा है।

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत कुल 54.03 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं, जिनमें 2,37,575 करोड़ रुपये की जमा राशि है।

पीएमजेडीवाई के अतिरिक्त, सभी लोगों, विशेषकर हासिये पर पड़े और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा और वहनीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं:-

i. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह योजना एक साल की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है और इसमें दुर्घटना के कारण 2 लाख रुपये मृत्यु

अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता और 1 लाख रुपये स्थायी आंशिक विकलांगता का कवरेज 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दिया जाता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाता रखने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है जो इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन 47.59 करोड़ है।

ii. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):** यह योजना एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता रखने वाले सभी लोगो के लिए उपलब्ध है जो इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन 21.67 करोड़ है।

iii. **अटल पेंशन योजना:** इस योजना का उद्देश्य किसी भी संगठित पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा वाले पात्र अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए तथा 5000 रुपए का नियत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगा।

दिनांक 20 .11.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 7.12 करोड़ नामांकन हुए हैं।

iv. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**: इस योजना के तहत आय सृजक गतिविधियों और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए सूक्ष्म/लघु कारोबारी इकाइयों को विनिर्माण, व्यापार, सेवा जैसे क्षेत्रों में 20 लाख रुपये तक का संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

01.11.2024 की स्थिति के अनुसार, योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक 31.28 लाख करोड़ रुपए के 50.31 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

v. **स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई)**: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना में व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 18.11.2024 की स्थिति के अनुसार, योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक 56,953 करोड़ रुपए के 2.52 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2018-19 से वर्ष-वार उपलब्धियां तथा विगत तीन वर्ष से उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्रमशः **अनुबंध I और II** में दी गई है।

******

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I									
की स्थिति के अनुसार	पीएमजेडीवाई		जनसुरक्षा योजनाएं		अटल पेंशन योजना (एपीवाई))	मुद्रा		स्टैंड-अप इंडिया	
(संचयी)	पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों में जमा	पीएमजेजेबीवाई नामांकन*	पीएमएसबीवाई नामांकन*	एपीवाई नामांकन	स्वीकृत खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
	(करोड़ में)	(करोड़ रुपए में))				(करोड़ में)	(लाख करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपए में)
मार्च'19	35.27	96,107	6,05,48,934	15,91,73,716	1,54,18,285	18.26	8.93	93,140	20,660.74
मार्च'20	38.33	1,18,434	7,15,17,482	18,89,96,334	2,23,01,658	24.48	12.31	1,13,395	25,505.79
मार्च'21	42.20	1,45,551	10,34,78,174	23,40,34,917	3,02,15,800	29.56	15.53	1,29,010	29,286.78
मार्च'22	45.06	1,66,459	12,89,49,003	28,62,81,970	4,01,27,279	34.94	18.92	1,48,759	33,787.64
मार्च'23	48.65	1,98,844	16,31,01,675	34,41,10,390	5,20,58,664	41.17	23.48	1,88,650	42,729.66
मार्च'24	51.95	2,32,502	20,16,80,800	44,34,01,449	6,43,52,154	47.84	28.89	2,28,260	51,619.41
स्रोत: बैंक			*स्रोत: बैंक (सार्वभौमिक योजनाओं के लिए) और बीमा कंपनियां (अभिसरण योजनाओं के लिए) *पॉलिसी अवधि 1 जून से 31 मई तक शुरू होती है*		*स्रोत: पीएफआरडीए*	स्रोत: पीएमएमवाई पोर्टल		*स्रोत: सिडबी*	

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II					
पीएमजेडीवाई खातों की राज्य-वार संख्या					
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	मार्च'22	मार्च'23	मार्च'24	दिनांक 20.11.24 की स्थिति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46,495	48,250	61,131	60,363
2	आंध्र प्रदेश	11,709,526	13,084,216	14,766,900	15,198,288
3	अरुणाचल प्रदेश	376,540	407,611	452,318	458,839
4	असम	20,340,337	22,155,400	23,617,352	24,497,833
5	बिहार	51,015,484	54,671,536	58,383,870	61,461,019
6	चंडीगढ़	282,403	306,335	327,206	332,696
7	छत्तीसगढ़	15,963,131	16,706,712	17,509,828	18,021,583
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	212,124	222,562	230,680	236,992
9	दिल्ली	5,334,160	5,798,480	6,298,366	6,532,334
10	गोवा	170,402	192,118	205,517	210,632
11	गुजरात	16,830,997	17,671,102	18,403,585	18,985,961
12	हरियाणा	8,499,466	9,138,803	9,925,153	10,282,946
13	हिमाचल प्रदेश	1,603,481	1,727,029	1,875,590	1,954,356
14	जम्मू और कश्मीर	2,570,319	2,638,254	2,736,234	2,445,786
15	झारखंड	16,221,564	17,408,062	18,363,047	19,207,309
16	कर्नाटक	16,019,278	17,771,929	19,212,865	19,776,579
17	केरल	4,905,123	5,530,505	6,204,271	6,531,793
18	लद्दाख	20,632	21,216	21,946	19,878
19	लक्षद्वीप	7,850	10,149	10,179	9,609
20	मध्य प्रदेश	37,234,491	40,420,016	42,988,303	44,375,440
21	महाराष्ट्र	31,390,727	32,405,023	34,081,215	36,075,275
22	मणिपुर	1,020,734	1,062,190	1,089,364	1,111,902
23	मेघालय	619,098	670,438	774,968	818,386
24	मिजोरम	315,215	329,374	382,123	403,252
25	नागालैंड	344,535	366,611	391,722	404,075
26	ओडिशा	18,540,664	19,984,550	21,318,071	22,487,593
27	पुडुचेरी	164,215	188,942	214,954	233,095
28	पंजाब	7,734,261	8,452,382	9,078,251	9,339,319
29	राजस्थान	31,377,411	33,321,407	35,175,115	36,267,919
30	सिक्किम	85,535	87,606	90,499	93,281
31	तमिलनाडु	11,595,108	13,772,809	15,404,333	16,459,533
32	तेलंगाना	10,434,957	11,104,621	11,786,566	12,181,408
33	त्रिपुरा	855,118	955,747	1,029,198	1,092,337
34	उत्तर प्रदेश	79,269,087	86,699,244	92,519,686	96,395,085
35	उत्तराखंड	2,905,904	3,249,606	3,586,688	3,751,305
36	पश्चिम बंगाल	44,598,971	47,955,525	50,950,149	52,598,316
कुल		**450,615,343**	**486,536,360**	**519,467,243**	**540,312,317**
स्रोत: बैंक					

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II									
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमजेजेबीवाई नामांकन				पीएमएसबीवाई नामांकन			
		31.05.2022 को स्थिति	31.05.2023 को स्थिति	31.05.2024 को स्थिति	20.11.2024 को स्थिति	31.05.2022 को स्थिति	31.05.2023 को स्थिति	31.05.2024 को स्थिति	20.11.2024 को स्थिति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35,475	51,340	71,164	79,628	80,613	101,715	148,531	162,382
2	आंध्र प्रदेश	7,096,256	8,463,484	30,534,198	31,450,751	16,809,450	19,322,911	51,231,156	52,889,837
3	अरुणाचल प्रदेश	92,088	140,762	205,542	233,273	171,160	251,779	370,876	418,691
4	असम	2,089,961	3,052,600	4,293,420	4,619,471	6,007,612	7,903,602	11,338,935	12,298,230
5	बिहार	6,129,689	9,352,983	14,989,439	16,145,575	16,429,388	21,216,297	29,477,723	32,192,939
6	चंडीगढ़	83,245	101,887	126,101	135,813	268,988	307,383	376,745	398,557
7	छत्तीसगढ़	2,997,575	4,298,270	6,868,181	7,381,171	8,527,801	10,212,821	14,786,321	15,663,246
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	87,954	106,921	132,438	140,540	158,007	183,404	242,532	260,236
9	दिल्ली	1,430,520	1,775,350	2,142,073	2,245,036	3,899,798	4,521,449	5,534,896	5,824,437
10	गोवा	168,314	259,146	312,352	326,124	389,041	470,794	642,123	676,694
11	गुजरात	4,696,354	6,016,278	7,973,550	8,598,491	11,045,199	13,074,053	17,163,053	18,349,194
12	हरियाणा	2,281,969	2,990,952	4,018,857	4,351,651	5,902,687	7,283,804	9,529,819	10,354,981
13	हिमाचल प्रदेश	545,157	727,832	1,012,633	1,098,764	1,800,443	2,107,474	2,635,021	2,844,878
14	जम्मू और कश्मीर	461,701	561,913	890,152	948,621	1,122,007	1,327,466	1,862,688	2,024,996
15	झारखंड	2,654,812	4,434,265	6,492,072	7,029,884	6,861,703	9,126,276	12,427,582	13,424,102
16	कर्नाटक	5,330,297	6,862,320	12,967,480	13,851,149	11,486,686	14,203,519	19,877,120	21,438,497
17	केरल	1,236,033	1,621,492	3,454,677	3,723,109	6,041,775	7,020,111	9,322,196	10,231,279
18	लद्दाख	12,228	17,730	27,507	30,659	24,132	34,641	52,665	59,801
19	लक्षद्वीप	2,539	3,780	5,362	5,611	7,880	9,900	27,837	28,482
20	मध्य प्रदेश	6,425,075	8,977,648	12,350,076	13,312,095	19,022,842	23,803,058	31,129,731	33,106,199
21	महाराष्ट्र	8,124,321	11,043,789	14,140,700	15,434,347	19,396,544	24,001,438	32,343,821	34,729,274
22	मणिपुर	100,995	162,349	315,350	344,753	254,099	372,667	489,982	552,507
23	मेघालय	174,116	303,896	425,690	482,592	372,617	582,285	775,670	874,401

24	मिजोरम	134,831	188,813	285,327	329,142	223,699	299,143	447,556	504,940
25	नागालैंड	97,270	143,877	180,871	199,103	249,940	322,538	400,272	451,889
26	ओडिशा	3,690,373	5,363,588	8,809,358	9,706,949	10,338,111	13,204,363	19,429,293	21,257,068
27	पुडुचेरी	103,022	135,879	192,309	214,823	260,849	326,317	475,393	517,505
28	पंजाब	2,193,257	2,850,047	3,756,407	4,110,694	7,071,740	8,403,660	10,909,443	11,816,704
29	राजस्थान	5,387,713	7,259,698	11,611,998	12,548,509	14,587,875	17,675,664	23,096,761	25,099,009
30	सिक्किम	67,000	94,265	123,339	133,925	143,521	189,392	234,309	256,882
31	तमिलनाडु	4,422,829	5,991,398	8,385,897	9,222,304	12,250,972	14,994,464	21,625,430	23,334,288
32	तेलंगाना	4,337,059	5,335,977	6,932,137	7,638,846	10,219,797	11,797,541	15,441,627	16,582,568
33	त्रिपुरा	251,122	336,133	447,103	496,790	836,939	983,162	1,191,824	1,278,302
34	उत्तर प्रदेश	11,605,795	16,713,332	25,053,338	26,753,443	38,348,291	47,675,092	65,273,037	69,850,840
35	उत्तराखंड	696,994	1,031,030	1,378,027	1,506,012	2,797,565	3,499,704	4,391,299	4,696,954
36	पश्चिम बंगाल	5,248,932	7,874,519	10,775,675	11,850,448	16,955,393	21,383,697	28,698,182	31,429,690
कुल		**90,492,871**	**124,645,543**	**201,680,800**	**216,680,096**	**250,365,164**	**308,193,584**	**443,401,449**	**475,880,479**
अन्य		**38,456,132**	**38,456,132**	**0**	**0**	**35,916,806**	**35,916,806**	**0**	**0**
सकल कुल		**128,949,003**	**163,101,675**	**201,680,800**	**216,680,096**	**286,281,970**	**344,110,390**	**443,401,449**	**475,880,479**

स्रोत: बैंक (सार्वभौमिक योजनाओं के लिए) और बीमा कंपनियां (अभिसरण योजनाओं के लिए)

****अन्य में यूसीबी, आरसीबी और अभिसरित योजनाओं के आंकड़े शामिल हैं जिनके लिए राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है।***

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II					
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत राज्यवार नामांकन					
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मार्च'22	मार्च'23	मार्च'24	30 नवंबर, 2024 की स्थिति अनुसार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12,770	17,948	22,656	24,144
2	आंध्र प्रदेश	2,299,498	2,820,938	3,384,368	3,745,562
3	अरुणाचल प्रदेश	47,349	72,865	92,840	96,462
4	असम	886,076	1,198,121	1,539,044	1,699,850
5	बिहार	3,997,372	5,063,225	6,226,052	6,859,715
6	चंडीगढ़	59,585	93,044	114,694	121,747
7	छत्तीसगढ़	762,034	1,043,809	1,316,508	1,487,140
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	80,916	113,864	137,976	147,739
9	दिल्ली	693,393	905,956	1,075,824	1,143,340
10	गोवा	126,865	160,799	185,914	194,765
11	गुजरात	1,607,503	1,964,476	2,356,932	2,591,547
12	हरियाणा	797,787	1,078,626	1,340,929	1,485,819
13	हिमाचल प्रदेश	292,622	386,054	469,033	518,271
14	जम्मू और कश्मीर	114,664	154,699	193,584	212,886
15	झारखंड	1,135,106	1,534,599	1,941,856	2,204,624
16	कर्नाटक	2,294,858	2,763,104	3,289,016	3,736,976
17	केरल	752,097	907,751	1,097,107	1,282,460
18	लद्दाख*	3,209	4,454	5,223	5,543
19	लक्षद्वीप	5,606	6,943	7,454	7,785
20	मध्य प्रदेश	2,294,421	3,001,318	3,807,122	4,246,835
21	महाराष्ट्र	3,097,671	4,073,950	5,126,342	5,689,438
22	मणिपुर	64,089	97,589	118,134	126,086
23	मेघालय	65,352	97,735	118,647	126,621
24	मिजोरम	28,665	39,651	48,083	50,143
25	नागालैंड	75,647	111,874	140,387	146,722
26	ओडिशा	1,504,968	1,899,877	2,352,825	2,640,183
27	पांडिचेरी	63,446	75,098	86,888	95,139
28	पंजाब	1,118,351	1,468,720	1,805,373	2,003,253
29	राजस्थान	2,105,600	2,808,352	3,487,527	3,879,413
30	सिक्किम	121,006	192,819	248,085	267,199
31	तमिलनाडु	2,929,240	3,654,283	4,370,049	4,804,246
32	तेलंगाना	1,000,678	1,325,709	1,676,324	1,879,500
33	त्रिपुरा	139,317	188,110	239,629	270,557
34	उत्तर प्रदेश	6,072,347	8,208,639	10,332,563	11,525,153
35	उत्तराखंड	403,359	542,097	672,437	742,420
36	पश्चिम बंगाल	3,070,457	3,977,650	4,920,094	5,481,147
37	एनआरआई/अन्य	3,355	3,918	4,635	6,203
कुल		**40,127,279**	**52,058,664**	**64,352,154**	**71,546,633**
स्रोत: पीएफआरडीए					

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II					
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - नं. स्वीकृत खातों की संख्या (संचयी)			
		मार्च'22 की स्थिति अनुसार	मार्च'23 की स्थिति अनुसार	मार्च'24 की स्थिति अनुसार	01.11.2024 को स्थित*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44,725	48,188	51,319	52,917
2	आंध्र प्रदेश	6,082,384	7,430,977	9,019,659	9,723,106
3	अरुणाचल प्रदेश	71,345	88,538	114,969	125,913
4	असम	9,360,063	9,959,276	10,681,501	11,078,637
5	बिहार	35,219,999	43,709,230	53,340,507	56,413,602
6	चंडीगढ़	149,450	166,711	182,296	191,385
7	छत्तीसगढ़	6,946,983	8,061,910	9,097,484	9,535,907
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	26,770	32,282	37,268	39,740
9	दिल्ली	2,692,805	3,030,281	3,345,906	3,444,397
10	गोवा	273,448	316,193	358,698	372,205
11	गुजरात	10,635,602	12,420,039	14,380,503	15,134,010
12	हरियाणा	6,549,790	7,768,598	8,864,570	9,213,977
13	हिमाचल प्रदेश	725,917	877,650	1,024,121	1,084,133
14	जम्मू और कश्मीर	1,086,906	1,417,869	1,784,011	1,953,377
15	झारखंड	9,712,748	11,768,907	13,898,100	14,701,817
16	कर्नाटक	33,445,420	39,037,486	45,496,426	48,132,112
17	केरल	11,607,110	13,388,584	15,362,053	16,389,766
18	लद्दाख	31,537	41,525	52,538	57,456
19	लक्षद्वीप	6,203	7,826	10,135	11,508
20	मध्य प्रदेश	21,414,999	25,116,660	28,562,135	29,934,790
21	महाराष्ट्र	27,543,923	32,797,247	38,077,226	40,350,419
22	मणिपुर	399,430	439,174	449,840	455,053
23	मेघालय	209,272	234,209	265,842	281,102
24	मिजोरम	87,550	110,944	139,673	155,532
25	नागालैंड	97,834	113,006	134,020	145,644
26	ओडिशा	23,606,014	27,528,525	31,290,071	32,602,092
27	पुडुचेरी	921,219	1,019,613	1,152,970	1,193,552
28	पंजाब	6,847,574	8,107,465	9,146,774	9,428,510
29	राजस्थान	14,982,811	17,960,251	20,653,807	21,652,584
30	सिक्किम	121,307	135,112	154,402	161,939
31	तमिलनाडु	41,082,795	47,489,308	54,693,309	56,765,658
32	तेलंगाना	5,260,364	5,899,687	6,846,746	7,387,127
33	त्रिपुरा	2,243,619	2,594,278	2,919,075	3,059,217
34	उत्तर प्रदेश	32,447,963	39,256,684	46,936,202	49,564,727
35	उत्तराखंड	2,142,489	2,587,817	3,033,035	3,175,996
36	पश्चिम बंगाल	35,273,067	40,699,983	46,881,855	49,165,210
कुल		**349,351,435**	**411,662,033**	**478,439,046**	**503,135,117**

***** *01.11.2024 तक अनंतिम*

स्रोत: एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

दिनांक 09.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II					
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई) - नहीं। स्वीकृत खाते (संचयी)			
		मार्च'22 की स्थिति अनुसार	मार्च'23 की स्थिति अनुसार	मार्च'24 की स्थिति अनुसार	31.10.2024 को स्थिति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	254	321	362	379
2	आंध्र प्रदेश	8083	10674	13508	14395
3	अरुणाचल प्रदेश	356	486	631	863
4	असम	2182	2598	3124	3447
5	बिहार	5031	6522	7650	8722
6	चंडीगढ़	483	561	640	667
7	छत्तीसगढ़	3137	3788	4516	4970
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	107	130	148	167
9	दिल्ली	4764	5212	5811	6082
10	गोवा	489	612	792	888
11	गुजरात	10417	13237	16154	17596
12	हरियाणा	4746	6086	7166	7826
13	हिमाचल प्रदेश	1840	2423	2917	3231
14	जम्मू और कश्मीर	1205	1397	1588	1655
15	झारखंड	2698	3222	3821	4177
16	कर्नाटक	8866	12753	14738	15883
17	केरल	4018	6162	8653	9474
18	लद्दाख	183	373	507	629
19	लक्षद्वीप	3	3	3	3
20	मध्य प्रदेश	6232	8167	11066	12545
21	महाराष्ट्र	12011	16845	20942	23271
22	मणिपुर	305	398	430	461
23	मेघालय	296	365	534	628
24	मिजोरम	424	533	604	640
25	नागालैंड	539	690	845	916
26	ओडिशा	4769	5935	6839	7390
27	पुडुचेरी	335	397	462	525
28	पंजाब	4791	6324	7799	8522
29	राजस्थान	7031	9449	11595	13530
30	सिक्किम	400	498	573	641
31	तमिलनाडु	15412	18828	21836	24987
32	तेलंगाना	8497	9633	11895	13155
33	त्रिपुरा	301	392	519	581
34	उत्तर प्रदेश	16929	19763	23782	25819
35	उत्तराखंड	2467	2748	3117	3451
36	पश्चिम बंगाल	9158	11125	12693	13670
कुल		**148759**	**188650**	**228260**	**251786**
स्रोत: सिडबी					